बाल कल्याण अधिकारियों एवं पुलिस कर्मियों हेतु किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख एवं संरक्षण) 2000 यथा संशोधित 2006 के प्रभावी क्रियान्वयन के सन्दर्भ में बाल संरक्षण के लिए आवश्यक दिशा निर्देश

सामान्य

1. यह निर्देश किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख एवं संरक्षण) 2000 यथा संशोधित 2006 के प्रभावी क्रियान्वयन के सन्दर्भ में प्रभावी रूप से अनुपालन हेतु निर्गत किये गये है।

2. यह निर्देश विधि के सम्पर्क में आये बच्चों एवं उनकी देखरेख एवं संरक्षण हेतु पुलिस द्वारा अपनायी गई क्रियान्वयन की प्रक्रिया में गुणात्मक सुधार लाने हेतु निर्गत किये गय है।

3. यह निर्देश बाल कल्याण अधिकारी एवं पुलिस अधिकारी की भूमिका, कार्य एवं अपेक्षित व्यवहार हेतु निर्गत किये गये है।

4. सभी जनपदीय पुलिस प्रभारी अपने–अपने जनपद में कार्यशाला आयोजित कर निर्देशों को अपने अधीनस्थ सभी अधिकारियों को अवगत करा दें और इनका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करायें।

5. यह निर्देश किशोर न्याय (बच्चों की देखरख एवं संरक्षण) अधिनियम 2000 यथा संशोधित 2006 के नियम 84 के उपनियम 4 के तहत नाम निर्दिष्ट बाल कल्याण अधिकारी का स्थानान्तरण और तैनाती अन्य पुलिस थानों या जिला स्तर की विशेष किशोर पुलिस इकाईयों के भीतर तब तक की जाएगी जब तक प्रोन्नति का कोई आपवादिक मामला न हो और ऐसे मामलों में अन्य प्रशिक्षित व अभियोग्ता वाले पुलिस अधिकारियों को इकाई में नामनिर्दिष्ट और तैनात किया जाए ताकि कर्मचारियों की कमी न रहे का कड़ाई से अनुपालन करेंगे।

6. यह निर्देश कि अपने बाल कल्याण अधिकारी का नाम व फ़ोन नम्बर थाने में प्रमुख रूप से दर्शाये।

बाल कल्याण अधिकारियों की भूमिका

किशोर न्याय अधिनियम (बच्चों की देखरेख एवं संरक्षण) 2000 यथा संशोधित 2006 की धारा 63 के तहत प्रत्येक थाने पर एक पुलिस अधिकारी जो बच्चों से संव्यवहार करते हो को इस अधिनियम के तहत वैधानिक रूप से बाल कल्याण अधिकारी के रूप में नाम निर्दिष्ट किया गया है।

बाल कल्याण अधिकारी के कार्य एवं जिम्मेदारियों उक्त अधिनियम में प्रयुक्त निम्न जिम्मेदारियों एवं कार्यों का निष्पादन बाल कल्याण अधिकारी का मौलिक कर्तव्य है।

- विधि के सम्पर्क में आये बच्चों से संव्यवहार के सभी मामले बाल कल्याण अधिकारी के होंगे।

विधि के साथ संघर्षरत बच्चों एवं किशोरों के लिए प्रमुख कार्यः–

- एफ0आई0आर0 दाखिल करें, यदि अपराध गंभीर प्रवृत्ति का है या जिसमें एक व्यस्क की सजा का प्रावधान 7 वर्ष से अधिक का है। (नियम 11 उपनियम 11)
- एफ0आई0आर0 करें, यदि अपराध कम गंभीर प्रवृत्ति का है और जिसकी सजा 7 वर्ष से कम हो और उस अपराध में कोई व्यस्क भी शामिल हो। (नियम 11 उपनियम 11)
- कम गंभीर प्रवृत्ति का अपराध जिसकी सजा 7 वर्ष से कम की हो में कोई एफ0आई0आर0 न करें। बच्चे के सम्बंधित अपराध की विस्तृत जानकारी रोजनामचा आम (जनरल डायरी) में प्रविष्ट करायें। (नियम 11 उपनियम 11)
- बिना देर किये किशोर/बच्चे का सामाजिक–आर्थिक प्रष्ठभूमि रिपोर्ट तैयार करें और जे0जे0बी0 के समक्ष प्रस्तुत करें। (नियम 11 उपनियम 11)
- यदि अपराध 7 वर्ष से कम है तो बच्चे/किशोरों को वचनबंध/बंधपत्र भरवाकर माता–पिता /संरक्षक, उपयुक्त व्यक्ति के सुपुर्द कर दें। कृप्या नियम 15 का उप–नियम (5) तथा नियम 79 का उप–नियम (7) (क),(ख) व (2) का अवलोकन करें।
- यदि अपराध 7 वर्ष से ज्यादा है तो अपनी अभियोग्यता के आधार पर माता–पिता/संरक्षक को वचनबंध/बंधपत्र भरवाकर सुपुर्द कर सकते है या किशोर न्याय बोर्ड के सम्मुख प्रस्तुत कर बोर्ड के आदेशानुसार कार्यवाही करें। कृप्या नियम 15 का उप–नियम (5) तथा नियम 79 का उप–नियम (7) (क),(ख) व (2) का अवलोकन करें।

- किशोर के पकड़े जाने पर माता–पिता/संरक्षक एंव परिवीक्षा अधिकारी को तुरन्त सूचना दें। जनपद स्तरीय विशेष किशोर पुलिस इकाई को भी तुरन्त सूचना दें। नियम 11 का उप–नियम (1) (क),(ख) व (ग)
- बाल कल्याण अधिकारी प्रत्येक बच्चे/किशोर की केस डायरी में उसकी सामाजिक प्रष्ठभूमि रिपोर्ट (प्रपत्र–4) एवं उसे जिस परिस्थिती में पकडा गया है, एवं अभिकथित अपराध का लेखा तैयार कर किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पहली सुनवाई से पहले प्रस्तुत करेंगे। नियम 11 का उप–नियम (7)
- चार्जशीट केवल 7 वर्ष से अधिक सजा वाले अपराधों के केस में ही बनेगी। बाल कल्याणा अधिकारी सम्बंधित बच्चे/किशोर की चार्जशीट किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
- बाल कल्याण अधिकारी जनपद स्तरीय विशेष किशोर पुलिस इकाई द्वारा दो सामाजिक कार्यकर्ता एवं उससे सम्बन्ध किशोर न्याय अधिनियम में रजिस्टर्ड एन0जी0ओ0,परिवीक्षा अधिकारी से समन्वय स्थापित करेंगे और सामाजिक प्रष्ठभूमि तैयार करने में उनका सहायोग लेंगे।
- बाल कल्याण अधिकारी इस बात का ख्याल रखेंगे कि बच्चे/किशोर के साथ कलंकित न किये जाने वाले शब्दों का अनिवार्यता से प्रयोग करेंगें तथा संबंधित कार्यवाहियों में जैसे गिरफ्तारी, रिमांड, आरोप पत्र, विचारण, अभियोजन, वारण्ट, समन, दोषसिद्विध अंतःवासी, अपचारी, उपेक्षित, अभिरक्षा या जेल जैसे प्रतिकूल अथवा अभियोगपरक शब्दों का प्रयोग नही करेंगे जिससे बच्चे/किशोर को कोई अपराध बोध न हो। नियम 3 का उप–नियम (8)
- विशेष किशोर पुलिस इकाई से सहायता प्राप्त सामाजिक कार्यकर्ता या एन0जी0ओ0 के माध्यम से किशोर व उसके माता/पिता/संरक्षक को उचित परामर्श दिलवायेंगे। नियम 11 का उप–नियम (12)
- बाल कल्याण अधिकारी किशोर/बच्चे का न तो हथकड़ी लगायेंगे न ही हवालात में बंद करेंगे। नियम 76
- बच्चे/किशोर से सख्ती से पेश नहीं आयेंगे।

सामान्य कार्य, जिम्मेदारी व अपेक्षित व्यवहार

- बाल कल्याण अधिकारी बच्चों/किशोरों से बातचीत के दौरान उनके सर्वोत्तम हित के प्रति पूर्ण सहानभूति रखेंगे।
- बच्चों/किशोरों की भूख, प्यास, मत्रमूत्र जैसी सभी शारीरिक जरूरत का ध्यान रखें।
- बच्चो/किशोरों से पुलिस थाने में सभी के सामने पूछताछ न करें। जिससे उनको अपराध बोध की आवृत्ति होने की सम्भावना हो सकती है। बातचीत के लिए उपयुक्त स्थान का प्रयोग करें जहां बच्चा/किशोर अपने आप को सहज समझे।
- बच्चों/किशोरों से बात करते समय उनके समतल होकर बात करें। उदाहरतया यदि बच्चा कद में आप से छोटा है तो आप उसके समतल बैठकर बात करें, इससे बच्चा सहज महसूस करेगा और आपके प्रश्नों का उत्तर भी विस्तार से दे सकेगा।
- सभी बाल कल्याण अधिकारी के पास बाल कल्याण समिति व किशोर न्याय बोर्ड के सदस्यों, चाइल्ड लाइन का नम्बर विशेष किशोर पुलिस ईकाई के सदस्यों व एन0जी0ओ0 के नम्बर व नाम हो और सम्बध थानों में प्रमुखता से दर्शाये गये हों।
- बच्चों/किशोरों से पूछताछ के समय मृदभाषा का प्रयोग करे।
- बच्चों/किशोरों से प्रश्न करते समय कब कहां, कैसे, किसलिए किधर, कितने, किस जगह इत्यादि जैसे प्रश्नों से शुरूआत करें, इससे जानकारी विस्तृत होगी और विवेचना में आपको प्रक्रिया का पता चल सकेगा।
- प्रयास करें कि प्रश्न पूछते समय किशोर/बच्चों से **क्यों** का इस्तेमाल न करें, ये प्रक्रिया में बाधा डाल सकता है और आपको पूर्ण जानकारी से वंचित होना पडेंगा।
- किशोर/बच्चों को यदि गंभीर चोटें आई हो तो उसका तुरन्त मेडिकल करवाना अपेक्षित है।
- बालिका/किशोरी से पूछताछ, बोर्ड के समक्ष प्रस्तुति, मेडिकल जांच के दौरान महिला आरक्षी के अधीन करवायें।
- यदि किसी कारण बालिका/किशोरी को रोका जाए तो उसे महिला आरक्षी के अधीन रखा जाए।

- यदि महिला आरक्षी उपलब्ध न हो तो सम्बन्ध किशोर न्याय अधिनियम में रजिस्टर्ड एन0जी0ओ0 की महिला कार्यकर्ता की सहायता लें।

सभी प्रकार के व्यय जो विधि से संघर्षरत किशोर या देखभाल व संरक्षण वाले बच्चे के खाने–पीने, यात्रा में लगे हो वो विवेचना खर्च से अदायगी होंगे।

Dos करें–

कानून के साथ संघर्षरत बच्चों के साथ करने वाले पुलिस/बाल कल्याण अधिकारियों हेतु अपेक्षित व्यवहार

1. **किशोर का परिक्षण**
   - पुलिसकर्मियों से अपेक्षित है कि वो बच्चों से सम्पर्क के दौरान सादे कपड़ों में रहें (नियम 75)
   - बच्चों से पूछताछ माता–पिता संरक्षक की उपस्थिती में करें।
   - जहां तक सम्भव हो बच्चों से पूछताछ पुलिस थाने के बजाए बच्चों के घर या ऐसे स्थान पर करें जो एक सुरक्षित वातावरण के दायरे में आता हो।
2. **स्वास्थ्य परिक्षण**
   - यदि किशोर/बच्चे को किसी स्वास्थ्य संबंधी जरूरत की आवश्यकता हो तो उसे बिना देर किए तत्काल मुहैया कराऐं।
3. **सुरक्षा एवं संरक्षण**
   - यदि किशोर को रोका गया है या उसे किसी पुलिसकर्मी के अधीन रखा गया है तो बच्चा/किशोर के खान–पान सुरक्षा एवं अन्य जरूरी आवश्यकताओं की पूर्ति सम्बन्धित पुलिसकर्मी की होगी।
   - ध्यान रखें कि किशोर/ बच्चे को किसी भी कारण से शर्मिन्दगीं अपराध बोध न करायें।
   - किशोरियों/बालिकाओं का परिक्षण एवं निगरानी महिला पुलिसकर्मी के समक्ष हो साथ ही किशोरियों एवं बालिकाओं को महिला पुलिसकर्मी के संरक्षण में रखा जाए।
4. **बच्चों/किशोरों से पूछताछ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु**
   - कम गम्भीर प्रवृत्ति के अपराधों में (जहाँ सजा 7 वर्ष से कम हो) में किशोर को थाने में रोकना वांछित नहीं है।
   - बाल कल्याण अधिकारी/पुलिस अधिकारी बच्चों/किशोरों को रोकने या आवश्यक कार्यवाही हेतु थाने में पूछताछ व परिक्षण सिर्फ गंभीर अपराध जैसे की हत्या, बलात्कार एवं उन अपराधों के संदर्भ में जिनकी सजा 7 वर्ष से अधिक हो में करेंगे।

5. **एफ0आई0आर (F.I.R.) का प्रावधान**

- उन गंभीर मामलों में जिनकी सजा 7 वर्ष से अधिक हो में किशोर/बच्चे के खिलाफ एफ0आई0आर0 दर्ज होगी। नियम 11 उपनियम 2 के तहत मामले की पड़ताल कर विवेचना लिखने के उपरान्त बच्चा/किशोर को 24 घण्टे के भीतर किशोर न्याय बोर्ड भेजा जाए।
- कम गंभीर मामलों में जिनकी सजा 7 वर्ष से कम हो में चार्जशीट के स्थान पर सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।
- एफ0आई0आर0 उन मामलों में भी होगी जहां किशोर के साथ कोई व्यस्क हो तथा सजा 7 वर्ष से कम हो परन्तु किशोर को किशोर न्याय बोर्ड ही भेजा जाएगा।
- उक्त संदर्भ में चार्जशीट पर किशोर को किशोर न्याय अधिनियम का हवाला देते हुए विवेचना की जाएगी।

6. **रोजनामचा आम (जनरल डायरी एन्ट्री)**

- उक्त के क्रम में बाल कल्याण अधिकारी/पुलिस अधिकारी किशोर से सम्बन्धित जानकारी जनरल डायरी में लिखेगा और किशोर के माता–पिता संरक्षक को सूचित करेगा कि किशोर ने किस श्रेणी का अपराध किया है। (धारा 13)
- साथ ही किशोर की विशेष किशोर पुलिस इकाई द्वारा सहतार्थ सोशल वर्कर/या किशोर न्याय अधिनियम 2000 में रजिस्टर्ड एन0जी0ओ0 की सहायता से प्रपत्र–4 में संदर्भित सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि तैयार कर रिपोर्ट के माध्यम से किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

7. **किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष किशोर की प्रस्तुति**

- 7 वर्ष से अधिक के गंभीर प्रवृत्ति के अपराधों में बाल कल्याण अधिकारी बच्चा/किशोर को बिना देर किए यात्रा का समय निकाल कर घटना के दर्ज होने से 24 घंटे के भीतर किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करेगा। (धारा 10)
- यदि बोर्ड बैठक में न हो तो किशोर न्याय बोर्ड के सिी भी एक सदस्य के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य है। (धारा 5 उपधारा 2)

- 7 वर्ष से कम सजा वाले अपराधों में बाल कल्याण अधिकारी किशोर/बच्चे की संदर्भित की सामाजिक–आर्थिक प्रष्ठभूमि (प्रपत्र–4) रिपोर्ट पहली सुनवाई से पहले प्रस्तुत करेगा, तदानुसार, बोर्ड आदेशानुसार किशोर को अग्रिम सुनवाई के लिए प्रस्तुत करने का आदेश देगा।

8. किशोर को घर जाने की अनुमति

- कम गम्भीर, (7 वर्ष से कम की सजा) अपराध की परिस्थिती में किशोर/बच्चे की यदि माता–पिता/संरक्षक की प्रष्ठभूमि अनुकूल है के दौरान किशोर को नियम 15 का उपनियम (5) तथा नियम 79 का उपनियम (1) (क) व (2) के अन्तर्गत माता–पिता/संरक्षक का बोर्ड आदेशानुसार वचनबंध/बंध पत्र प्रारूप–5 के तहत किशोर को उनके सुपुर्द किया जा सकता है और बोर्ड की अग्रिम सुनवाई के दौरान किशोर को उनके द्वारा प्रस्तुत कराया जा सकता है।

9. आयु का निर्धारण

- यद्यपि आयु निर्धारण का अंतिम निष्कर्ष किशोर न्याय बोर्ड का है फिर भी बाल कल्याण अधिकारी बच्चा/किशोर की आयु की जानकारी हेतु प्राथमिकता के आधार पे निम्न का उपयोग करेंगे। (नियम 12 उपनियम (3) (क))

(क) (1) मैट्रिक या समकक्ष प्रमाण–पत्र

इसके उपलब्ध न होने पर

(2) पहली बार गया हो (प्ले स्कूल छोड़कर) उस स्कूल का जन्म प्रमाण पत्र

इसके उपलब्ध न होने पर

(3) नगर–निगम या नगर पालिका प्राधिकरण या पंचायत द्वारा जारी प्रमाण–पत्र

- उपरोक्त की अनुपलब्धा को देखते हुए बाल कल्याण अधिकारी बच्चा/किशोर का सर्वोत्तम हित का ध्यान रखते हुए यदि वह किशोर या बालक लग रहा है बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करेगा। आयु निर्धारण हेतु उपरोक्त की अनुपल्बधता पर किशोर न्याय बोर्ड एक चिकित्सीय बोर्ड गठित करेगा। (नियम 12 उपनियम (3) (ख))

Don't- क्या न करें–

बाल कल्याण अधिकारी/पुलिस अधिकारी द्वारा बच्चों के साथ <u>न करने वाले</u> अपेक्षित व्यवहार

- बच्चो/किशोर के साथ बात–चीत करते हुए यह अपेक्षित है वे वर्दी **न** पहने (नियम 75)
- बच्चों/किशोर को कभी हथकड़ी **न** लगाएं (नियम 76)
- बच्चों/किशोरों को लॉक–अप या जेल में **न** रखें नियम 11 (3)
- बच्चों/किशोरों के माता–पिता/संरक्षक को इत्तला करने में देरी **न** करें। (धारा 13 एवं नियम 11 (1)
- कम गंभीर अपराधों में जिसकी सजा 7 वर्ष से कम हो में एफ0आई0आर0 दर्ज **न** करें (नियम 11 (11)
- उन अपराधों में जिसमें किशोर के साथ कोई व्यस्क शामिल हो उस दशा में एफ0आई0आर0 दर्ज करने में देरी **न** करें। (नियम 11 (11)
- बच्चों/किशोर का सर्वोत्तम हित देखते हुए उसे बंधपत्र भरवाकर जमानत पर छोड़ने से इन्कार **न** करें।
- बच्चों/किशोर की आयु का निर्धारण में अनावश्यक देरी **न** करें।
- सामान्यतः बच्चों/किशोर की पहचान मीडिया के सामने जाहिर **न** करें, जब तक वो बच्चों के हित में हो (धारा 21)
- दण्ड प्रक्रिया संहिता की निवारक कार्यवाही आरम्भ **न** करें। (धारा 17 एवं 18)
- किशोर को पुलिस रिमाण्ड पर **न** ही लिया जाए
- बिना कारण किशोर की विवेचना एवं जांच में देरी **न** करे।
- विधि के साथ संघर्षरत बच्चा/किशोर को न्यायालय या बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत **न** करें। उसे सिर्फ किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष ही प्रस्तुत करें।
- बच्चा/किशोर को किशोर न्याय बोर्ड जाने के लिए उन वाहनों का प्रयोग **न** करें जो पुलिस की छाप/प्रभाव प्रदर्शित करते हो।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न **(FAQ)**

प्र0 **बच्चा/किशोर कौन है?**

उ0 कोई भी व्यक्ति जिसने अपनी उम्र 18 वर्ष पूरी न की हो।

प्र0 **विधि के साथ संघर्षरत बच्चे से आप क्या समझते है?**

उ0 वो बच्चा या किशोर जिसने कोई अपराध कर दिया हो और जिसने अपनी 18 वर्ष की उम्र न पूरी की हो।

प्र0 **विधि के साथ संघर्षरत बच्चे को कहां ले जाना चाहिए?**

उ0 विधि के साथ संघर्षरत बच्चों के किशोर न्याय बोर्ड ले जाना चाहिए।

प्र0 **बच्चो और किशोर की आयु का निर्धारण कैसे करें।**

उ0 आयु का निर्धारण करते समय क्रमानुसार प्राथमिकता के आधार पर निम्न का पालन करें। (नियम 12 उपनियम (3) (क))

(क) (1) मैट्रिक या समकक्ष प्रमाण–पत्र

इसके उपलब्ध न होने पर

(2) पहली बार गया हो (प्ले स्कूल छोड़कर) उस स्कूल का जन्म प्रमाण पत्र

इसके उपलब्ध न होने पर

(3) नगर–निगम या नगर पालिका प्राधिकरण या पंचायत द्वारा जारी प्रमाण–पत्र

प्र0 **किशोर के साथ यदि कोई व्यस्क शामिल हो तो कया करना चाहिए?**

उ0 तुरन्त एफ0आई0आर0 दर्ज करें, व्यस्क की चार्जशीट दायर कर उसे संबंधित न्यायालय ले कर जाए, परन्तु किशोर की अलग से सामाजिक–आर्थिक प्रष्ठभूमि की रिपोर्ट तैयार कर किशोर को किस अपराध में रोका गया है और कैसे पकड़ा गया है का विवरण रिपोर्ट में लिखकर किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करें।

चार्जशीट में व्यस्क के साथ किशोर के शामिल होने की बात ही लिखी जाएगी, बाकी तहरीर विवेचना में लिखी जाएगी।

प्र0 किशोर के खिलाफ किन केसों में चार्जशीट दाखिल होगी और किस कोर्ट में?

उ0

- चार्जशीट केवल गंभीर प्रर्वति के अपराध जिसमें 7 वर्ष से ज्यादा की सजा का प्रावधान है में किशार न्याय बोर्ड के समक्ष 90 दिनों के भीतर दायर की जाएगी या जब किसी किशोर के साथ कोई व्यस्क शामिल है तब व्यस्क की अलग चार्जशीट बनाकर न्यायालय भेजी जाएगी व किशोर की अलग चार्जशीट बनाकर किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष 90 दिनों के भीतर दायर की जाएगी।
- गैर गम्भीर अपराधों में कोई चार्जशीट नहीं बनेगी, केस रोजनामचा आम (जनरल डायरी) में लिखकर सामाजिक आर्थिक प्रष्ठभूमि रिपोर्ट किशोर न्याय बोड्र के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।

प्र0 किशोर के रोके/पकड़े जाने के बाद क्या कार्यवाही की जाएगी?

उ0

- किशोर/बच्चे को रोजनामचा आम (जनरल डायरी) में इन्ट्री के तुरन्त बाद बाल कल्याण अधिकारी के सुपुर्द कर दिया जाएगा।
- बाल कल्याण अधिकारी उसे 24 घण्टे के भीतर (यात्रा में लगने वाले समय के अतिरिक्त) किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करेगा।
- किशोर को न तो गिरफ्तार किया जाएगा न हथकड़ी लगाई जाएगी और न ही लॉक–अप में रखा जाएगा।
- बाल कल्याण अधिकारी सादे कपड़ों में किशोर से बातचीत करेगा।
- बाल कल्याण अधिकारी तुरन्त ही विशेष किशोर पुलिस ईकाई को और किशोर के माता–पिता/संरक्षक को किशोर के पकड़े जाने की सूचना देगा।

- यदि मामला कम गंभीर अपराध का है तो किशोर को वचनबंध/बंधपत्र भरवाकर छोड़ दिया जाएगा और यदि मामला ज्यादा गंभीर अपराध का है तो किशोर को वचनबंध/बंधपत्र भरवाकर माता–पिता/संरक्षक या उपयुक्त व्यक्ति के देखरेख के अधीन रखा जाएगा।
- किशोर को तब नहीं छोड़ा जाएगा, जहां उसकी शारीरिक नैतिक या मनोवैज्ञानिक खतरा होने, किसी अन्य अपराधी के सहचर्य में लाने या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की अशंका होने पर न्याय के उद्देश्यों के विफल होने की प्रबल संम्भावना हो।
- किशोर को किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत होने तक लॉकअप के अलावा ऐसे सुरक्षित स्थान पर रखा जाएगा जो किशोर के लिए उपर्युक्त हो।
- किशोर की सामाजिक–आर्थिक प्रष्ठभूमि रिर्पोट एस0जे0पी0यू0 के सोशल वर्कर या किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत रजिस्टर्ड एन0जी0ओ0 की मदद से भरवाकर किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करनी होगी।

प्र0 जब धारा 363 भारतीय दण्ड संहिता के तहत यदि किशोर –किशोरी के एकसाथ लापता होने और किशोर पर अपहरण का गंभीर आरोप लगा हो तो क्या करें?

उ0

- तुरन्त एफ0आई0आर0 दर्ज करें, किशोर की चार्जशीट दायर कर उसे सामाजिक–आर्थिक प्रष्ठभूमि की रिपोर्ट के साथ किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करें।
- किशोर के प्राप्त होने पर उसे किस अपराध में रोका गया है और कैसे पकड़ा गया है का विवरण रिपोर्ट में लिखकर किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करें।
- किशोरी का स्वास्थ्य परिक्षण करवा का दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत बयान करवायें।